

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग / राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 / 88-1 दिनांक 29.4.99 के तहत न्यूनतम श्रेणियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक के 07 एवं चक्के के 05 कुल 12 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अश्रितों की श्रेणी में पदस्थापना हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अधिवारिता में इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालना पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पत्र नहीं माना जावेगा, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं रहेगा।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नॉटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नॉटिफिकेशन क्रमांक एफ-12 (6) एफ डी /रुस्त/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनिज के रूप में प्रेषित जा कर डिप्लोमा प्रोवेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेगुलेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के न.ग. तथा मासगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, जोनर्स आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कर्तव्यता नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेगुलेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रत्यापना बाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शैक्षणिक प्रमाण प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित हैं तब भी संबंधित आदेशों में दो गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर का अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से उद्दत्त ली जावेगी।

51

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे ।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एक-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें ।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे ।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये ।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी ।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किरसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार घुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करे । जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे ।
चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावे एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रकाश करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(सौरभ स्वामी)

आई.एस.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कार्मिक विभाग/निर्देश/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2020
निर्देशों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को सूचनार्थ ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक के एव चश्रेक के कुल प्रकरण) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावे ।
7. प्रो. को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे ।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग ।
10. संक्षिप्त पत्रावली ।

दिनांक : 20.7.2020

उप निदेशक(प्रशासनी),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

2/4

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901 /नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक ~~20.7.2020~~ के तहत 07 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/- रूपये मारिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	5	4	6	2	3	9
1	सिम्पल छीपा सी.सी. 31.10.1982	30.01.16	13.04.2018 कनिष्ठ सहायक	राजीव कुमार अध्यापक प्राशि	30.01.16	श्रीगंगानगर
2	राजेश कुमार निर्मल सी.सी. 10.05.1987	09.12.19	16.01.2020 कनिष्ठ सहायक	सुल्तानसिंह निर्मल स.प्र.अ.	09.12.19	झुंझुनूं
3	शारदा योगी बी.ए. 30.10.1985	09.07.19	17.08.2019 कनिष्ठ सहायक	सुरेश कुमार योगी प्रबोधक पराज	09.07.19	जयपुर
4	विनायक कुमार सी.सी. 31.10.1989	08.09.19	13.11.2019 कनिष्ठ सहायक	पुखराज व.अ. प्राशि	08.09.19	जोधपुर
5	विष्णुश्री देवजानी एम.ए. 12.05.1993	15.05.05	17.01.2018 कनिष्ठ सहायक	जेटी मोटवानी अध्यापक पराज	15.05.05	पार्ली
6	दिनेश चन्द सैन सी.सी. 29.07.1991	18.11.19	10.12.2019 कनिष्ठ सहायक	दिनेश चन्द सैन कनिष्ठ सहायक	18.11.19	अजमेर
7	बगदीराम चश्रेक सी.सी. 07.07.1983	15.11.19	23.12.2019 कनिष्ठ सहायक	बगदीराम चश्रेक	15.11.19	चित्तौड़गढ़

क्र.सं. 05 पर अंकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- च.श्रे.क.

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य सा.प्र/एं-4/3901 /नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक **20.7.2020** के तहत 05 च.श्रे.क. पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :-
(स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रुपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	5	4	6	2	3	9
1	सरोज कंवर पांचवी 20.08.1983	पत्नी	14.03.2020 च.श्रे.क	महेन्द्र सिंह व.अ.	19.02.20	जोधपुर
2	लक्ष्मणसिंह सैकेण्डरी 05.07.1999	पुत्र	10.10.2019 च.श्रे.क	आमसिंह च.श्रे.क	05.04.15	जोधपुर
3	गनीष सातवी 25.12.2001	पुत्र	10.10.2019 च.श्रे.क	कानाराम व.अ.	01.12.17	जोधपुर
4	अनीता कुमारी आठवी 03.07.1984	पत्नी	14.10.2019 च.श्रे.क	वगताराम मीणा शाशि	09.08.19	सिरोही
5	रांनी पांचवी 01.01.1984	पत्नी	12.02.2020 च.श्रे.क	ओमप्रकाश विरनोई अध्यापक	23.12.19	जालोर

नोट : क्र.सं. 02 एवं 03 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।


(सौरभ स्वागी)

आ.ए. 5

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर